न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 38/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00064

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन		1. मांगीलाल पुत्र दिनेखां, कौम मुसलमान, निवासी कण्टालिया, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली 2. गंगादेवी पत्नी हेमाराम, कौम सिरवी, निवासी कण्टालिया, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29.8.2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मांगीलाल पुत्र दिनेखां के पक्ष में ग्राम कण्टालिया के खसरा नम्बर 1511 में से रकबा 755 वर्गगज भूमि के आवंटन आदेश 01.06.1987 के विधि विरूद्ध होने से खारिज करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित होने से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कण्टालिया तहसील मारवाड जंक्शन में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में तत्कालीन तहसीलदार ने आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1987 के द्वारा खसरा नम्बर 1511 में बाडा रकबा 755 वर्गगज के तौर पर आवंटित किया गया था। इसके सम्बन्ध में न तो कोई मौका जांच की गयी और न ही मौके पर ऐसा कोई बाडा मौजूद है साथ ही मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा। ग्राम कण्टालिया के खसरा संख्या 1511 के पूर्व वर्षो के खसरा परिवर्तनशील में भी अप्रार्थी का कब्जा दर्ज नहीं है। वास्तविकता में अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के शर्तो की पालना नहीं कर तत्कालीन नियमन/आंवटन अधिकारी के समक्ष मिथ्या तथ्य तथा गलत जानकारी पेश कर गलत तरीके से नियम विरूद्ध जाकर उक्त आवंटन आदेश पारित करवाया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी मांगीलाल के पक्ष में आवंटन आदेश 01.06.1987 एवं उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1075 दिनांक 08.04.1988 को खारिज करने का आदेश फरमावें।

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

हमने सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के विवेचन अनुसार तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने आदेश क्रमांक/406 दिनांक 01.06.1987 के द्वारा ग्राम कण्टालिया के खसरा नम्बर 1511 में से रकबा 755 वर्गगज गै.मु.बाडा हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित की थी, जिसकी पालना में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1075 दिनांक 08.04.1988 के द्वारा खसरा संख्या 1511 मी. में अप्रार्थी संख्या 1 को राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जैर आराजी का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को किये जाने से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 3140 के द्वारा खसरा संख्या 1511/12 राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 2 को बतौर खातेदार दर्ज किया गया। ग्राम कण्टालिया के खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2033 से लेकर सम्वत् 2044 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1511 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा के सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड में नाम ही नहीं है और न ही पत्रावली पर ऐसी कोई जांच रिपोर्ट उपलब्ध है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अप्रार्थी संख्या 1 का जैर आराजी के आवंटन से पूर्व का कोई कब्जा हो। जिससे यह ज्ञात होता है कि आवंटन कमेटी ने जैर आराजी पर अप्रार्थी के कब्जे के सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड एवं मौके स्थिति की जांच किये बगैर ही जैर आवंटन आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का कण्टालिया द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 18.02.2020 के अनुसार जैर आराजी पर कही पर भी कब्जा, निर्माण, मकान नहीं है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 के अनुसार भी मौके पर खातेदार का कब्जा नहीं है। जिससे भी यह स्पष्ट है कि वर्तमान में मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है अर्थात् अप्रार्थी ने आवंटन कमेटी के समक्ष गलत तथ्य पेश कर जैर आवंटन आदेश जारी करवाया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कण्टालिया के खसरा नम्बर 1511 में से रकबा 755 वर्गगज भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल पुत्र दिनेखां के पक्ष में आवंटन आदेश 01.06.1987 एवं उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1075 दिनांक 08.04.1988 एवं उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 3140 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति तहसीलदार मारवाड जंक्शन को प्रेषित की जावें।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)